भोपाल, दिनांक 18 जून 2025

क्रमांक– 1144/मप्रविनिआ/2025–विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यध) सहपठित धारा 45 तथा धारा 61 में प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के बारे में विधियां तथा सिद्धान्तं) विनियम, 2021 {आरजी–35(III), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्तं) विनियम, 2021 में तृतीय संशोधन {एआरजी–35(III)(iii), वर्ष 2025}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्तं) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–35(III)(iii), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम इन विनियमों की अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2027 तक प्रभावशील होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 9 में संशोधन :**

मूल विनियम में विनियम 9.8 के स्थान पर विनियम 9.8 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"9.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के खाते में वसूले गये राजस्व को विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में सत्यापित किया जाएगा और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये सत्यापन अगले वित्तीय वर्ष की ऐसी तारीख, जो 30 जून या उसके पश्चात की हो, तक पूरा कर लिया जाएगा जैसा कि आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक अंकेक्षित लेखों की उपलब्धता के पश्चात् निर्णय लें।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डा,
आयोग सचिव.